

राजस्थान सरकार  
पशुपालन विभाग

क्रमांक :प.12 (1)पपा./2002

जयपुर, दिनांक : 22.07.2020

निदेशक,  
पशुपालन विभाग,  
राजस्थान, जयपुर।

विषय:—डॉ. रामजी लाल मीणा, अतिरिक्त निदेशक, के दिनांक 23.07.2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृति चाहने बाबत।

संदर्भ:— आपका पत्र क्रमांक एफ.वी.5(आर)(152)स्था./अ/प्रशि दिनांक 09.07.2020. के क्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि डॉ. रामजीलाल मीणा, अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्र), पशुपालन विभाग, उदयपुर द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 01.07.2020 प्रस्तुत कर दिनांक 23.07.2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृति चाही गई है। राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 50 (1) के उप नियम (1) में विनीत प्रावधानुसार तीन माह से पूर्व नोटिस प्रस्तुत नही किये जाने के कारण इनकी स्वैच्छिक सेवानिवृति की स्वीकृति में असुविधा उत्पन्न होने के फलस्वरूप डॉ. रामजी लाल मीणा के स्वैच्छिक सेवानिवृति आवेदन पत्र दिनांक 01.07.2020 को अस्वीकार किया जाता है।

(डॉ. वीरेन्द्र सिंह)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:— डॉ. रामजी लाल मीणा, अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्र), पशुपालन विभाग, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

शासन उप सचिव